


# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## :: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.03.2018 द्वारा क्रम सं. 04 व 05 पर अंकित निम्नांकित कार्मिकों को डीपीसी वर्ष 2017-18 में प्राध्यापक स्कूल शिक्षा अंग्रेजी के पद पर चयनोपरांत उनके सामने अंकित स्थान पर पदस्थापित किया गया था :—

रजिस्टर्ड दारपाल नंबर का प्राप्तक	शैक्षिक वर्ष	वरिष्ठता अवधि	नाम लोक सेवक	वर्ग	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत स्थान (राजमावि)	पदीनंति पर पदस्थापन स्थान राजमावि
1759	I	1998- 1999	SHANKAR LAL JAT		11-09- 1974	भादसोडा चितौडगढ़	यथावत
1870	I	1998- 1999	BADRI LAL SUMAN		11-07- 1968	आवासीय विद्यालय, धनवाडा, झालावाड	यथावत


उपरोक्त कार्मिकों द्वारा डीपीसी वर्ष 2014-15 में प्राध्यापक स्कूल शिक्षा अंग्रेजी के पद पर चयनोपरांत पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण किया हुआ होने के कारण उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन कर इनका नाम उक्त आदेश दिनांक 13.03.2018 से विलोपित किया जाता है। शेष यथावत।

  
(निम्नलिखित)  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

क्रमांक—शिविरा / मा / संरथा / सी—1 / अंग्रेजी / डीपीसी 2017-18 / पदस्थापन / 2017      दिनांक : 11-4-2018  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :—

1. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-1/ा),
3. संबंधित प्रधानाचार्य,
4. संबंधित कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता / संरथापन सी-2 (प्रभाग ओएसी)
6. रक्षित पत्रावली
7. उमारी कम्प्यूटर कार्यालय हाजी

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के सलंगन ग्रुप-एफ के अनुरूप व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) विषय-राजनीति विज्ञान वर्ष 2015-16 विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा अनुसार चयन किये जाने पर शिक्षा सेवा के निम्नांकित लिखे अनुसार अधिकारियों को पे-बैण्ड 9300-34800 पीबी-2 ग्रेड पे 4800 में चयनित कर पदोन्नत किये जाने के फलस्वरूप इन्हें उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है। इन्हें दिनांक 17/04/18 तक पदोन्नति स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी /प्रधानाचार्य इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अहता का मिलान करना आवश्यक रहेगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल commsecedu@yahoo.com से तुरंत सूचित करेंगे।

क्र. सं.	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	नाम कार्मिक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	चयन वर्ष	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान
01	926(1)	1999-00	बगताराम/मोडाराम	राजमावि जाखण बापिनी - जोधपुर	04.04.1960	2015-16	राजमावि जाखण बापिनी - जोधपुर

पदोन्नत कार्मिक यदि अपनी का परित्याग करना चाहता है, तो लिखित में प्रार्थनापत्र दिनांक 17.04.18 को संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा और संस्था प्रधान का उत्तर दायित्व होगा कि वो पदोन्नत कार्मिक को दिनांक 17.04.18 (परित्याग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में भी) को आवश्यक रूप में नवीन पदोन्नत स्थान हेतु कार्यमुक्त करेंगे। पदोन्नत कार्मिक को दिनांक 17.04.2018 तक पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(नथमल डिले)
IAS

निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-6/**रावि**(महिला)/डीपीसी-पदस्थापन/2013-15 दिनांक 10/4/18  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

1. शासन सचिव-शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर
5. समस्त शिक्षा उप निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक)
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक)/प्रधानाचार्य डाईट/संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण कराने के लिये अधिकृत होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक)/प्रधानाचार्य डाईट/संस्था प्रधान 17.04.18 को संबंधित सूचना निदेशालय को प्रेषित करने के लिये उत्तरदायी होंगे।
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
8. संबंधित अधिकारी/कार्यालय/संस्थाप्रधान
9. सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनिय प्रतिवेदन/विभागीय जांच

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर